न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/47/2021

नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड सिंह, रेल्वे लाइन के पास गायत्री कांलोनी नदबई जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, नदबई।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 29.06.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नरेन्द्र गोदारा पुत्र सुगड सिंह रेल्वे लाइन के पास गायत्री कांलोनी नदबई जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2021 तहसीलदार, नदबई से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार, नदबई द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/388 दिनांक 04.06.2021 के द्वारा तहसीलदार, नदबई से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार, नदबई से उनके पत्र कमांक/498 दिनांक 28.06.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार, नदबई ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार, नदबई से सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार, नदबई से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 498 दिनांक 28.06.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, नदबई ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी को भी पत्र कमांक 499 दिनांक 28.06.2021 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार, नदबई से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार, नदबई को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर